विभिन्न अपराधों में लिप्त सट्टा किंग के ठिकानों पर नोटिस चस्पा

शस्त्र लाईसेंस निरस्त होने के बाद थाने में नहीं कराया जमा, कलेक्टर ने विगत दिनों किया लाईसेंस निरस्त

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। शहर में सट्टा किंग के नाम से मशूहर आजाद खान का शस्त्र लाईसेंस कलेक्टर द्वारा निरस्त कर दिया है, तो वहीं लाइसेंस निरस्त होने के बाद उसके बाद अपना शस्त्र जमा नहीं किया गया है। जिसके चलते थाने में शस्त्र जमा कराने के लिए देहात पुलिस द्वारा उसके विभिन्न ठिकानों पर नोटिस चस्पा किया है। जिसमें उसको दो दिनों के भीतर शस्त्र लाइसेंस जमा कराये जाने की बात कहीं गई है।

दरअसल 17 नबंवर को जिला दण्डाधिकारी द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शस्त्र लायसेंसी आजाद खान पुत्र अलीम खान निवासी ग्राम कोलुआ थाना देहात, हाल निवासी आजाद मोहल्ला थाना कोतवाली

अशोकनगर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसका आर्म्स लायसेंस क्रमांक (MP/SN/IX/87/20), जिस पर एक पिस्टल 32 बोर दर्ज है उसको निलंबित किया गया था तथा उक्त शस्त्र को तत्काल संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश जारी किए गए थे। किन्तु शस्त्र लायसेंसी आजाद खान द्वारा निलंबित शस्त्र लायसेंस पर दर्ज पिस्टल 32 बोर थाने में जमा नहीं की गई। इस पर थाना प्रभारी देहात उप निरीक्षक भुवनेश शर्मा द्वारा नियमों के पालन हेतु आजाद खान के ग्राम कोलुआ रोड स्थित फार्म हाउस तथा आजाद मोहल्ला स्थित आवास पर नोटिस चस्पा कर निर्देशित किया गया कि आजाद खान दो दिनों के भीतर अपने निलंबित शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज पिस्टल 32 बोर को थाने में जमा कराएं, अन्यथा उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग, अपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता अथवा प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जावेगी। जिले में कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने हेतु ऐसे मामलों में सख्त और त्वरित कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

पहले भी चस्पा किये नोटिस: उल्लेखनीय है कि आजाद खान पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने का आरोप लगा है, जिसका सरगना भी वह ही निकला, जिसके चलते उस पर सिटी कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा उसके घर सहित अन्य ठिकानों पर उसे गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी गई थी। लेकिन वह भी अपने किसी भी ठिकाने पर नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उसके होटल, घर पर दो दिन में उपस्थित होने की बात कहते हुए नोटिस चस्पा किया था। लेकिन न तो वह थाने में हाजिर हुआ है और अब उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।

स्टंटबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ट्रेक्टर किया जब्त

शराब के नशे में युवक कर रहा था स्टंट

ट्रेक्टर-ट्राली से स्टंट करने की मिली थी शिकायत

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। देहात थाना पुलिस द्वारा शराब के नशे में नवीन कृषि उपज मण्डी में ट्रैक्टर टोचन कर स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार करने के साथ उसका ट्रेक्टर जब्त किया है। दरअसल विगत रात्रि में नवीन कृषि उपज मण्डी अशोकनगर में फसल बेंचने के लिये ट्रेक्टर ट्राली से आये किसानों एवं आम जनता के द्वारा ट्रेक्टर से स्टंट कर अव्यवस्था फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की शिकायतें लोगों ने की थी। जिसके बाद थाना पुलिस द्वारा स्टंटबाज आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुसे गिफ्तार किया है।

दरअसल गुरूवार की रात्रि में नवीन कृषि उपज मण्डी अशोकनगर में ट्रेक्टर ट्राली की काफी भीड भाड होने से व्यवस्था करने हेतु टीम पहुंची थी, जहां पर एक व्यक्ति शराब के नशे में अपने ट्रेक्टर को तेज गति से चलाकर स्टंटवाजी कर रहा था। जिसके कारण मंडी मे ट्रेक्टर चालको की भगदड मच गई तभी पुलिस टीम द्वारा ट्रेक्टर चालक अभिषेक कटारिया पुत्र चंद्रभान सिंह कटारिया उम्र 22 साल निवासी बांसखेडी थाना पिपरई को रोककर समझाइस दी, लेकिन वह समझने की जगह आम लोगो से गाली गलौच करने लगा। जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा टीम द्वारा उक्त युवक को गिरफ्तार करते हुए उसका ट्रेक्टर जब्त किया। वहीं पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को मेडिकल कराते हुए उस पर धारा 185,184,132/177 ,119/177, 130/177(1), 189, 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी देहात उप निरीक्षक भुवनेश शर्मा, सुमन किशोर लकडा, प्रधान आरक्षक सूरज हर्षाना, अनूप, शैलेंद्र, भूपेंद्र की सराहनीय भूमिका रही।

एक नजर में

निशुल्क दंत जांच शिविर आयोजित

शाढ़ौरा। स्थानीय द्रोपदी पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए निशुल्क दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से डॉ. अमित शर्मा द्वारा बच्चों के दांतों की जांच की गई। जांच के दौरान डॉ. शर्मा ने विद्यार्थियों को दांतों की देखभाल के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बच्चों को सही तरीके से ब्रश करना, दिन में दो बार दांत साफ करने, मीठे पदार्थों का सीमित सेवन करने तथा नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास जांच कराने की सलाह दी।

संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन

चंदेरी। छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक और संस्कृति ज्ञान का होना भी अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर शुक्रवार को शासकीय माधव महाविद्यालय में प्राचार्य डा व्हीके पाण्डेय के मार्गदर्शन में एवं महाविद्यालय के संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2025 के प्रभारी डा संजीव राजपूत के निर्देशन में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। जिसमें करीब 44 छात्र-छात्राओं ने भाग लेते हुए परीक्षा दी।

जिला निर्वाचन कार्यालय का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

अशोकनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य जारी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य सिंह द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसआईआर कार्य की मॉनीटरिंग की जानकारी ली। साथ ही गणना पत्रकों के डिजिटलाइजेशन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि गणना पत्रकों के डिजिटलाइजेशन की हर दो घंटे में रिपोर्ट भेजे जाने के निर्देश दिए।

सोशल मीडिया अफवाह फैलाने पर होगी कार्यवाही

कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, ग्रुप एडमिन पर हो सकती है कार्रवाई

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। जिले में लोक व्यवस्था एवं शांति भंग करने की प्रबल संभावनाए को देखते हुए कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, जनसामान्य के हित, लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेशानुसार जिले की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जावे, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। जिले की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय या व्यक्ति द्वारा अन्य समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण नहीं दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जायेगी। जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति समूह, संस्था द्वारा ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/ प्रकाशन नहीं किया जावे, जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित इलेक्ट्रोनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक शब्द या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेगा, जिससे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जाग्रत हो। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुडा कोई भी व्यक्ति भडकाऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नहीं करे। सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं डालेंगे, जिससे किसी राजनैतिक दल में प्रभाव रखने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक क्षति हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है, तो ग्रुप एडमिन उसको तत्काल डिलीट कराते हुये संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध सूचित भी करेगा। अनुमति लेकर किये जाने वाले आंदोलन, सभा, गोष्ठी आदि के दौरान काले झण्डे, काले कपडे पहनकर, पुतला दहन करने अथवा भडकाऊ नारे लगाकर सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं किया जावेगा।

किसी भी व्यक्ति, समूह द्वारा समुदाय विशेष की दृश्य श्रव्य माध्यमों से उसके मौलिक अधिकारों में यदि बाधा उत्पन्न करता है तो वह व्यक्ति, समूह इस आदेश के अधीन रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/संगठन/संस्था/समूह के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश जिला अशोकनगर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

ग्रुप एडमिन को रहना होगा सावधान, देनी होगी जानकारी

दरअसल पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर आगामी समय में सम्पूर्ण जिले के विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), यूट्यब, व्हाट्सएप आदि) पर आपत्तिजनक, भड़काऊ, साम्प्रदायिक सौहार्द को बाधित करने वाली एवं अफवाह फैलाने वाली सामग्री के प्रसारित करने से लोक व्यवस्था एवं शांति भंग करने की प्रबल संभावनाए उत्पन्न हो सकती है। इसी को देखते हुए कलेक्टर द्वारा धारा 163 लगाई है। तो वहीं पुलिस द्वारा ग्रुप एडमिन को आगाह किया गया है कि वह अपने ग्रुप की सतत निगरानी करे। वहीं किसी प्रकार की आपत्ति जनक पोस्ट होती है उसे डिलीट करने के साथ ही उसकी जानकारी पुलिस को देना सुनिश्चित करे। जिससे वह आगामी कार्यवाहीं से बच सके।

ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, लोगों ने बताया आत्महत्या

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। गुना बीना रेलखण्ड पर शुक्रवार की दोपहर एक अधेड़ ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

तो वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्ती कराई और उसके बाद पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार ग्राम सहोदरी निवासी शालकराम कुशवाह हाल निवासी यादव कालोनी चाट मशाला सहित खाना बनाने का कार्य करता था। वहीं उक्त घटना को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि वह अचानक से ट्रेन की चपेट में आ गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पीएम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं मर्गकायम करते हुए जांच में लिया है।

गणना पत्रकों के कार्य का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 कार्य जारी है। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आदित्य सिंह द्वारा अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर के नगरपालिका अशोकनगर क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्र नगरपालिका, बोहरे कॉलोनी, तुलसी कॉलोनी पहुंचकर गणना पत्रों का वितरण, एकत्रीकरण एवं डिजिटलाइजेशन के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। इसी प्रकार अशोकनगर 032 विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्र जमाखेड़ी, बमुरियाफूट, लखेरीबसारती, रिजौदा, पिपनावदा, भडूली का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्र पहुंचकर गणना पत्रों का वितरण, एकत्रीकरण एवं डिजिटलाइजेशन के संबंध में जानकारी ली। साथ ही गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन 23 नवंबर 2025 तक पूर्ण किए जाने के निर्देश बीएलओ को दिए।

जागरुकता के लिए रथ रवाना

अशोकनगर। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत पुरूष नसबंदी पखवाडा माह के दौरान पुरूषों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में पुरूष नसबंदी पखवाडा 21 नबम्बर से 4 दिसम्बर तक आयोजित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अलका त्रिवेदी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा बताया गया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम भारत शासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगति, गतिविधि है। भारत की पारंपरिक संरचना में अभी भी परिवार नियोजन का दायित्व मुख्यत: शामिल है।

कार्यक्रम | **सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर हुआ कार्यक्रम**

एकता पद यात्रा से दिया राष्ट्र निर्माण के लिए एकता का संदेश

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता पद यात्रा अंबेडकर भवन पर आयोजित की गई। जिसका शुभारंभ कलेक्टर आदित्य सिंह,पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा,पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी,नगरपालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित एवं माल्यार्पण तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गायन के साथ किया गया।

कार्यक्रम में पूर्व विधायक अशोकनगर जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि एकता पद यात्रा का आयोजन देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे देशभर में किया जा रहा है। युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है। युवा

इस पर विचार करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 150 वर्ष पहले भारत की स्वतंत्रता में अपना भरपूर योगदान दिया। उन्होंने आंदोलन किये,जेल गये,अंग्रेजों की यातनाएं सही। उन्होंने जो एक आजाद भारत का सपना देखा था, वह साकार करते हुए देश की सेवा की। भारत देश को एक करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सरदार पटेल अपना पूरा जीवन पर्यन्त देश को एकता की सेवा के लिए आदर्श मानते रहे। उन्होंने देश के लोगों के लिए भाईचारे, एकता एवं भारतीय होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लरभ भाई पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। युवा पीढ़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आर्देशों से सीख लें। इसके बाद एकता पदयात्रा के दौरान राव माधव हायर सेकेण्डरी स्कूल की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। साथ ही वुशू खिलाडियों का वुशू खेल का प्रदर्शन किया गया। वहीं इस यूनिटी मार्च में कई लोग मौजूद रहे।

स्वदेशी अपनाने का दिलाया संकल्प: एकता पदयात्रा में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के आव्हान पर कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा उपस्थितजनों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया गया।

नशामुक्ति की दिलाई शपथ: वहीं कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा उपस्थित जनसमूह को नशा न करने हेतु नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई।

एकता यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना: एकता यात्रा को अम्बेडकर भवन से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। यह यात्रा अम्बेडकर भवन से प्रारम्भ होकर शंकरपुर मगदरा, मोहरीराय, से होते हुए तूमैन रोड़ पर राष्ट्र गायन के साथ समापन किया गया। समापन अवसर पर यात्रा में शामिल विद्यार्थियों को टीशर्ट एवं स्वल्पहार वितरित किया गया। एकता पदयात्रा में बडी संख्याय में नागरिकों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया।

जेल में कैदियों को कराया गीता स्वाध्याय

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। जन अभियान परिषद की ब्लॉक अशोकनगर नवांकुर संस्था श्री युगल सरकार श्रीमद्भगवद्गीता स्वाध्याय सेवा समिति द्वारा शुक्रवार को जिला जेल में निरुद्ध बंदियों के बीच चौदहवे अध्याय गुणत्रयविभाग योग का स्वाध्याय किया गया।

इस दौरान सर्वप्रथम जिला जेल अधीक्षक ललित कुमार दीक्षित एवं जिला समन्वयक बद्री प्रसाद चौहान ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्जलन कर पूजन किया। समिति के स्वाध्याय पत्रक सभी निरुद्ध बंदियों को भेंट किए गए और उसी अनुसार स्वाध्याय में विजय रथ, नवधा भक्ति की चौपाइयों का सामूहिक वाचन किया गया। स्वाध्याय में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के व्याख्या करते हुए गीताव्रती रामबली आर्य ने कहा गया कि अध्याय 14 श्लोक 5 में भगवान कहते हैं हे अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण- ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं । श्लोक 9 में कहते हैं सत्त्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढंककर प्रमाद में भी लगाता है। श्लोक 18 में कहते हैं सत्त्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात् मनुष्यलोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात् कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। स्वाध्याय पश्चात युगल महामंत्र का सामूहिक उच्चारण बलवीर सिंह रांवसर ने कराया। कार्यक्रम में रमन कुमार शर्मा, लाखन सिंह सहोदरी, देवेंद्र यादव डोंगर के साथ जेल स्टाफ उपस्थित रहा। अंत में गीता जी की आरती कर प्रसाद वितरित किया गया।